न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0—63 सन् 2023

जमादार राय...वादी।

बनाम

भगेसर राय...प्रतिवादी।

दिनांक— 28.02.2024

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 31.10.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादी विवादित एराजी में ईट, बालू, गिट्टी समानात गिराया जा रहा है तथा नया गृह निर्माण हेतु मिट्टी खुदाई का कार्य करने पर अमादा है और प्रतिवादी के द्वारा इस तरह का कार्य करने से विवादित एराजी का स्वरूप बदल जाएगा। इसके लिए आवश्यकता है कि कोई अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर विवादित एराजी का स्वरूप अभिलेख पर आना न्याय के लिए जरूरी हो गया है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त आवेदन को स्वीकार कर किसी अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त कर जांच प्रतिवेदन मंगाने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 03.02.2024 को दाखिल वादी के उपरोक्त आवेदन का विरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर तकरारी एराजी की वर्तमान वस्तुत स्थिति अभिलेख पर लाने हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी विवादित एराजी में ईट, बालू, गिट्टी समानात गिराया जा रहा है तथा नया गृह निर्माण हेतु मिट्टी खुदाई का कार्य करने पर अमादा है और प्रतिवादी के द्वारा इस तरह का कार्य करने से विवादित एराजी का स्वरूप बदल जाएगा। जबकि प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन का विरोध किया गया है। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप अभिलेख पर आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 31.10.2023 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 3000/—रूपया नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री प्रदीप कुमार को नियुक्ति किया जाता है।

वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।